



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258045
CG-DL-E-18102024-258045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946

No. 296]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2024

फा. सं. 01-01/2024-भर्ती (ईएसई).—भारत का राजपत्र, असाधारण दिनांक 18.09.2024 के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2025 की नियमावली में निम्नलिखित को जोड़ा गया है :-

1. प्रतिभागी सेवाओं की सूची में निम्नलिखित सेवाओं को जोड़ा गया है :-

वर्ग I:- -सिविल इंजीनियरी समूह "क" पद

(ix) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (सिविल)

(x) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भंडार) – सिविल इंजीनियरी पद

वर्ग II:- - यांत्रिक इंजीनियरी समूह "क" पद

(viii) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (यांत्रिक)

(ix) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भंडार) – यांत्रिक इंजीनियरी पद

वर्ग III:- - वैद्युत इंजीनियरी समूह "क" पद

(ix) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (वैद्युत)

(x) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भंडार) – वैद्युत इंजीनियरी पद

वर्ग IV:- - इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी समूह "क" पद

(ix) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (सिगनल एवं दूरसंचार)

(x) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भंडार) – सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद

2. नियम 5(ख)(ii) के अंतर्गत तालिका में निम्नलिखित को जोड़ा गया है :-

कॉलम I	कॉलम II
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	आईआरएमएस (सिविल) आईआरएमएस (यांत्रिक) आईआरएमएस (वैद्युत) आईआरएमएस (सिगनल एवं दूरसंचार) आईआरएमएस (भंडार)

टिप्पणी — अप्रेंटिसशिप अवधि के उपरान्त रेलवे में किसी कार्यकारी पद पर नियुक्ति होने पर, आयु में छूट के प्रयोजनार्थ उस अवधि पर रेलवे सेवा के रूप में विचार किया जा सकता है।

3. नियम 5(ग)(vi) की टिप्पणी के अंतर्गत पैरा 4 एवं 5 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा गया है:-

इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2025 का कोई भी उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लाभ का पात्र तभी माना जाएगा यदि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदण्डों को पूरा कर रहा हो और उसके पास वित्त वर्ष 2023-2024 की आय के आधार पर अपेक्षित आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए जोकि 01.04.2024 को/के पश्चात् (वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति के बाद) जारी हुआ हो परन्तु इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् **22 नवंबर, 2024** के बाद का न हो।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2025 के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 2023-2024, 2022-2023 तथा 2021-2022 के दौरान की आय के आधार पर अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जोकि 01.04.2024 को/के पश्चात् (वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति के बाद) जारी हुआ हो परन्तु इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् **22 नवंबर, 2024** के बाद का न हो।

4. नियम के परिशिष्ट II में विनियम 3(ख), 7(2)(क एवं ख) तथा 7(ii) के नीचे टिप्पणी (2) में निम्नलिखित को जोड़ा गया है:

विनियम 3(ख) में

सेवा का नाम	लिंग	कद
आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा सिगनल एवं दूरसंचार)	पुरुष उम्मीदवारों हेतु	152 से.मी.
	महिला उम्मीदवारों हेतु	150 से.मी.

विनयम 7(ii)(क एवं ख) में:

सेवा	दूर दृष्टि		निकट दृष्टि	
	स्वस्थ आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख	स्वस्थ आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क. तकनीकी				
1. आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा सिगनल एवं दूरसंचार)	6/6 या 6/9	6/12 या 6/9	जे/I	जे/II
ख. गैर तकनीकी				
5. आईआरएमएस (भंडार)	6/9	6/12	जे/I	जे/II

7(ii) के नीचे टिप्पणी (2) में:

तकनीकी सेवाएं या पद जिनमें उच्च ग्रेड की रंग दृष्टि (कलर परसेप्शन) अपेक्षित है:-

(ix) आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा सिगनल एवं दूरसंचार), समूह 'क'.

सेवाएं जिनके लिए रंग दृष्टि (कलर परसेप्शन) अपेक्षित नहीं है:

(iv) आईआरएमएस (भंडार), समूह 'क'

5. चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के प्रारूप के पैरा 14 परिशिष्ट II में निम्नलिखित को जोड़ा गया है:-

पैरा 14 में:

(xi) आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा सिगनल एवं दूरसंचार) तथा आईआरएमएस (भंडार) समूह 'क'

तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए उच्च ग्रेड की रंग दृष्टि (एचजीसीपी) अपेक्षित है

(ix) आईआरएमएस (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा सिगनल एवं दूरसंचार), समूह 'क' सेवाएं जिनके लिए रंग दृष्टि (कलर परसेप्शन) अपेक्षित नहीं है

(iv) आईआरएमएस (भंडार), समूह 'क'

6. परिशिष्ट -III में निम्नलिखित को जोड़ा गया है:-

15. आईआरएमएस (सिविल), आईआरएमएस (यांत्रिक), आईआरएमएस (वैद्युत), आईआरएमएस (सिगनल एवं दूरसंचार) तथा आईआरएमएस (भंडार) संबंधी संक्षिप्त विवरण

(क) **परिवीक्षा** – इन सेवाओं के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। इस दौरान वे 02 वर्ष के प्रशिक्षण पर होंगे। यदि प्रशिक्षण की अवधि को किसी मामले में बढ़ाना पड़े, जैसे प्रशिक्षण को पूर्णतः सन्तोषजनक तरीके से पूर्ण नहीं कर पाए, तो उसकी परिवीक्षा की कुल अवधि यथापेक्षित समय के लिए बढ़ाई जाएगी। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किए गए कार्य को भी सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो, परिवीक्षा की कुल अवधि को विचारानुसार बढ़ाया जा सकता है।

(ख) **प्रशिक्षण**– सभी परिवीक्षार्थियों को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान, सेवा/पद विशेष के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण लेना होगा। यह प्रशिक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित स्थानों पर तथा पद्धति के अनुसार होगा और उन्हें इस दौरान परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा।

(ग) नियुक्ति की समाप्ति –

- (i) परिवीक्षा की अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने का लिखित नोटिस देकर, समाप्त की जा सकती है। किंतु इस प्रकार के नोटिस की आवश्यकता, संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रावधानों के अनुपालन में अनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवा में बर्खास्तगी या सेवा से हटा दिए जाने तथा मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामलों में नहीं होगी। तथापि, तुरन्त सेवा समाप्ति का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।
- (ii) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक न हो अथवा ऐसा प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना नहीं हो तो सरकार उसे तुरंत सेवामुक्त कर सकती है।
- (iii) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं करने पर भी सेवा समाप्त की जा सकती है। परीक्षा की अवधि में अनुमोदित स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(घ) स्थायीकरण-परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरा कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय और हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने पर और सभी प्रकार से नियुक्ति के लिए विचार कर लिए जाने पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जायेगा।

(ङ) वेतन मान - भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, एस एवं टी और भंडार):-

क्र.सं.	ग्रेड	लेवल/ वेतनमान
1	कनिष्ठ वेतनमान	लेवल -10 (रु. 56,100 - 1,77,500)
2	वरिष्ठ वेतनमान	लेवल-11 (रु. 67,700 - 2,08,700)
3	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	लेवल-12 (रु. 78,800 - 2,09,200)
4	गैर कार्यात्मक वरिष्ठ ग्रेड	लेवल-13 (रु. 1,23,100 - 2,15,900)
5	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	लेवल-14 (रु. 1,44,200 - 2,18,200)

परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि को समय वेतनमान में छुट्टी, पेंशन व वेतन वृद्धियों के लिए गणना की अनुमति होगी। मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार स्वीकार्य होंगे। परिवीक्षा की अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं करने पर वेतन-वृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है।

(च) प्रशिक्षण लागत की वापसी – यदि किसी कारण, जो सरकार की राय में परिवीक्षार्थियों के नियंत्रण से बाहर नहीं है, से कोई परिवीक्षार्थी प्रशिक्षण या परिवीक्षा को छोड़ना चाहता है तब उसे वेतन और भत्तों, नौकरी शुरू करने से संबद्ध यात्रा व्यय सहित भुगतान की गई सभी राशियों और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले और किए गए सभी व्यय को वापस करना होगा। इस प्रयोजनार्थ परिवीक्षार्थियों को एक बंधपत्र निष्पादित करना होगा जिसकी एक प्रति उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न होगी। तथापि, परिवीक्षार्थी जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में नियुक्ति हेतु आवेदन करने की अनुमति दी गई है, को प्रशिक्षण की लागत की वापसी अपेक्षित नहीं होगी।

(छ) छुट्टी – उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे।

(ज) डाक्टरी चिकित्सा सहायता – अधिकारी समय-समय पर लागू नियमावली के अनुसार डाक्टरी चिकित्सा सहायता और उपचार के पात्र होंगे।

(झ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट – अधिकारी समय-समय पर लागू नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास तथा विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(ज) भविष्य निधि तथा पेंशन – उक्त सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।

(ट) उक्त सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत में या भारत के बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य करना पड़ सकता है।

(ठ) रक्षा सेवा में सेवा करने का दायित्व:- नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को, यदि अपेक्षित हो, तो भारत की रक्षा से संबंधित किसी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए सेवा करनी पड़ सकती है, जिसमें प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि, यदि कोई हो, सम्मिलित है:-

वशर्ते कि ऐसे व्यक्ति से :-

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात पूर्वोक्त पद पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(ख) चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सामान्यतः पूर्वोक्त पद पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

7. नियमों के अनुबंध-I में संबंधित वर्ग के लिए निम्नलिखित को जोड़ा गया है:-

वर्ग I के अंतर्गत – सिविल इंजीनियरी

क्रम संख्या	सेवा	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
9.	आईआरएमएस (सिविल)	एलडी-ओए/ओएल, कुछ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
10.	आईआरएमएस (भंडार) सिविल इंजीनियरी	एलडी-ओए/ओएल, कुछ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)

वर्ग II के अंतर्गत – यांत्रिक इंजीनियरी

क्रम संख्या	सेवा	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
11.	आईआरएमएस (यांत्रिक)	एलडी-ओए/ओएल, कुछ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
12.	आईआरएमएस (भंडार) यांत्रिक इंजीनियरी	एलडी - ओए/ओएल, कुछ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)

वर्ग III के अंतर्गत – वैद्युत इंजीनियरी

क्रम संख्या	सेवा	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
9.	आईआरएमएस (वैद्युत)	एलडी - ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
10.	आईआरएमएस (भंडार) वैद्युत इंजीनियरी	एलडी - ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)

वर्ग IV के अंतर्गत – इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी

क्रम संख्या	सेवा	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
10	आईआरएमएस (सिगनल एवं दूरसंचार)	एलडी - ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
11.	आईआरएमएस (भंडार) सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी	ओए या ओएल या ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आर, डब्ल्यू एवं आरडब्ल्यू

रोशनी सोहनी, उपमहानिदेशक (स्थापना)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2024

F. No. 01-01/2024-Rectt(ESE).—In the Rules for the Engineering Services Examination, 2025 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary dated 18.09.2024, the following is added:-

1. The following is inserted in the list of Participating Services:-

Category I:- Civil Engineering Group 'A' Posts

(ix) Indian Railway Management Service (Civil)

(x) Indian Railway Management Service (Stores) - Civil Engg. Posts.

Category II:- Mechanical Engineering Group 'A' Posts

(viii) Indian Railway Management Service (Mechanical)

(ix) Indian Railway Management Service (Stores) - Mechanical Engg. Posts.

Category III:- Electrical Engineering Group 'A' Posts

(ix) Indian Railway Management Service (Electrical)

(x) Indian Railway Management Service (Stores) - Electrical Engg. Posts.

Category IV:- Electronics and Telecommunication Engineering Group 'A' Posts

(x) Indian Railway Management Service (Signal & Telecommunication)

(xi) Indian Railway Management Service (Stores) - S&T Engg. Posts.

2. The following is inserted in the table under Rule 5(b)(ii) :-

Column I	Column II
Min of Railways (Railway Board)	IRMS (Civil) IRMS (Mechanical) IRMS (Electrical) IRMS (Signal & Telecommunication) IRMS(Stores)

Note — The period of apprenticeship if followed by appointment against a working post on the Railways may be treated as Railway Service for the purpose of age concession.

3. The following is substituted for 4th & 5th paras under Note VI of Rule 5(c)(vi):-

A candidate of ESE- 2025 will be eligible to get the benefit of the Economically Weaker Section reservation only in case the candidate meets the criteria issued by the Central Government and is in possession of requisite Income & Asset Certificate based on the income for Financial Year (FY) 2023- 2024 and issued on/after 01.04. 2024 (after the completion of FY 2023-24) but not later than the closing date of the application for Engineering Services (Preliminary) Examination- 2025 i.e. **22nd November, 2024.**

The OBC candidates applying for ESE- 2025 must produce OBC (Non-Creamy Layer) certificate based on the Income for the Financial Year (FY) 2023-24, 2022-23 and 2021- 22 and issued on/after 01.04. 2024 (after the completion of FY 2023-24) but not later than the closing date of the application for Engineering Services (Preliminary) Examination 2025 i.e. **22nd November, 2024.**

4. In Appendix II to the Rules, the following is added in Regulations 3(b), 7(2)(A&B) and Note (2) below 7(ii):

In Regulation 3(b)

Name of Services	Gender	Height
IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal & Telecommunication)	For Male candidates	152 cm
	For Female candidates	150 cm

In Regulation 7(ii)(A&B):

Service	Distant Vision		Near Vision	
	Better eye (Corrected Vision)	Worse eye	Better eye (Corrected Vision)	Worse eye
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Technical				
1. IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal & Telecommunication)	6/6 or 6/9	6/12 or 6/9	J/I	J/II

B. Non-technical				
5. IRMS (Stores)	6/9	6/12	J/I	J/II

In Note (2) below 7(ii):

Technical Services or posts requiring higher grade colour perception:-

(ix) IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal & Telecommunication), Group 'A'.

Services for which colour perception is not required:

(iv) IRMS (Stores), Group 'A'

5. The following is added in para 14 of Medical Board Report's Format Appendix-II:-

In para 14:

(xi) IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal & Telecommunication) and IRMS (Stores) Group 'A'

Technical Services or posts requiring Higher Grade Colour Perception(HGCP)

(ix) IRMS (Civil, Mechanical, Electrical and Signal & Telecommunication), Gr 'A'.

Services for which colour perception is not required

(iv) IRMS (Stores), Group 'A'

6. The following is added in Appendix –III:-

15. **BRIEF Particulars relating to IRMS (Civil), IRMS (Mechanical), IRMS (Electrical), IRMS(Signal & Telecommunication) and IRMS(Stores)**

(a) **Probation** - Candidates recruited to these services will be on probation for a period of two years during which they will undergo training for 02 years. If the period of training has to be extended in any case due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended. Even if the work during the period of probation in the working is found not to be satisfactory, the total period of probation will be extended as considered.

(b) **Training** - All the probationers will be required to undergo training for a period of 02 years in accordance with the prescribed training syllabus for the particular Service/post at such places and in such manner and pass such examination during this period as the Government may determine from time to time.

(c) **TERMINATION OF APPOINTMENT –**

- (i) The appointment of probationers can be terminated by three months notice in writing on either side during the period of probation. Such notice is not, however, required in cases of dismissal or removal as a disciplinary measure after compliance with the provisions of clause (2) of Article 311 of the Constitution and compulsory retirement due to mental or physical incapacity. The Government, however, reserve the right to terminate the services forthwith.
- (ii) If in the opinion of the Government, the work or conduct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient. Government may discharge him forthwith.
- (iii) Failure to pass the departmental examinations may result in termination of services. Failure to pass the examination in Hindi or an approved standard within the period of probation shall be liable to termination of services.

(d) **Confirmation** - On the satisfactory completion of the period of probation and on passing all the prescribed department and Hindi examinations, the probationer will be confirmed in the Junior Scale of the Service if they are considered fit for appointment in all respects.

(e) **Scale of pay** - Indian Railway Management Service (Civil, Mechanical, Electrical, S&T and Stores):—

Sl. No	Grade	Level/Pay scale
1	Junior Scale	Level-10 (Rs.56,100-1,77,500)
2	Senior Scale	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700)
3	Junior Administrative Grade	Level-12 (Rs.78,800-2,09,200)

4	Non-Functional Senior Grade	Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900)
5	Senior Administrative Grade	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)

A probationer will start on the minimum of Junior Scale and will be permitted to count the period spent on probation towards leave, pension and increments in time scale. Dearness and other allowances will be admissible in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time. Failure to pass the departmental and other examinations during the period of probation may result in stoppage or postponement of increments.

(f) Refund of the Cost of Training - If for any reason, which, in the opinion of the Government, are not beyond the control of the probationers, a probationer, wishes to withdraw from training or probation he shall be liable to refund any moneys paid to him, including the pay and allowances, travelling expenses to join appointment and all expenses that shall or may have been incurred by the Central Government for the Probationary Training. For this purpose Probationers will be required to execute a bond, a copy of which will be enclosed along with their offers of appointment. The Probationers permitted to apply for appointment to Indian Administrative Service, Indian Foreign Service etc. will not however, be required to refund the cost of training.

(g) Leave - Officers of the Service will be eligible for leave in accordance with the Leave Rules in force from time to time.

(h) Medical attendance - Officers will be eligible for medical attendance and treatment in accordance with the Rules in force from time to time.

(i) Passes and Privilege Ticket Order - Officers will be eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the Rules in force from time to time.

(j) Provident Fund and Pension - Candidates recruited to the Service will be governed by the New Pension Scheme of the Central Government and rules as in force from time to time.

(k) Candidates recruited to the Service/post are liable to serve in any Railway or Project in or out of India.

(l) Liability to serve in Defence Service:—The probationer appointed shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training if any :—

Provided that such person:—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment; (b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

7. The following is added in Annexure-I of the Rules in respective category :-

Under Category I – Civil Engineering

S. No.	Service	Functional Classification	Physical Requirements
9.	IRMS (Civil)	LD-OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack victims	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)
10.	IRMS (Stores) Civil Engg.	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims.	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, H
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)

Under Category II –Mechanical Engineering

S. No.	Service	Functional Classification	Physical Requirements
11	IRMS (Mechanical)	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H

12.	IRMS (Stores) Mechanical Engg.	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, H
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)

Under Category III –Electrical Engineering

S. No.	Service	Functional Classification	Physical Requirements
9.	IRMS (Electrical)	LD - OA, OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims.	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)
10.	IRMS (Stores) Electrical Engg.	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims.	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, H
		Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H (Acceptable with Hearing Aids)

Under Category IV –Electronics and Telecommunication Engineering

S. No.	Service	Functional Classification	Physical Requirements
10.	IRMS (Signal & Telecommunication)	LD – OA/OL, Leprosy Cured, Acid Attack Victims.	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, KC, CL, JU, H
11.	IRMS (Stores) Signal & Telecommunication Engg.	OA or OL or Hard Hearing	S, ST, BN, W, SE, MF, C, R, W & RW

ROSHNI SOHNI, Dy. Director General (Establishment)